

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 370/2020 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक पंजीकृत कार्यालय चाकली सर्किल के पास, पुराना पाखरा रोड, जडोदरा
गुजरात एवं क्षेत्रीय कार्यालय आई सी आई सी आई बैंक लि एच ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जे एल
एल मार्ग, जयपुर राजस्थान । प्राधिकृत अधिकारी श्री आशीष मनोत ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स कृष्णा इन्जिनियर जरिये प्रोपराईटर सुरेन्द्र कुमार वैष्णव
2. सुरेन्द्र कुमार वैष्णव
3. श्रीमती हेमलता वैष्णव पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव

प्लॉट नम्बर एम-13-ए, प्रथम तल, महेश कालोनी, टौक फाटक, जयपुर, राजस्थान ।

अप्रार्थी ऋणी



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह परमार अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश


दिनांक 19.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.05.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हेमलता वैष्णव पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर एम-13-ए, प्रथम तल, महेश कालोनी, टौक फाटक, जयपुर, क्षेत्रफल 1262.08 वर्गफिट को बन्धक रख कर 50,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इम्पान्ड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह परमार ने उपरिथत होकर वकालतनामा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय दिये जाने एवं उसकी किश्ते बनाने का निवेदन किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गोर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बकाया ऋण राशि जमा कराने के लिए समय दिये जाने व उसकी किश्ते बनाने का निवेदन किया है, किन्तु धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर समय दिये जाने व किश्ते किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण ऋणी का अनुरोध स्वीकार नहीं है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 50,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 34,65,202/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हेमलता वैष्णव पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार वैष्णव के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर एम-13-ए, प्रथम तल, महेश कालोनी, टोक फाटक, जयपुर, क्षेत्रफल 1262.08 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
9. आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
10. आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।




 (अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर